राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

प. 10(52)नविवि/3/99पार्ट

दिनांक 22.08.08
25.8.08

कार्यालय आदेश

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम– 2000 की अनुसूची–6 में वर्णित भवन निर्माण संबंधि दरों में निम्न संशोधन किये जाते है अब अनुसूची 6 के बिन्दु संख्या 3, 4, 11 एवं 12 को निम्न प्रकार से पढ़ा जावेगा।

3. मानचित्र अनुमोदन शुल्क –

(अ) आवासीय

- 100 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड – 1000/–
- 100 से 250 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड – 3000/–
- 251 से 500 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड – 5000/–

(ब) व्यावसायिक/संस्थानिक

- 100 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड – 2000/–
- 100 से 250 वर्गमीटर तक के भूखण्ड – 6000/–
- 251 से 500 वर्गमीटर तक के भूखण्ड – 10000/–

4. 500 वर्गमीटर से बडे आकार के भूखण्डों में भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र के आधार पर निम्नानुसार शुल्क देय होगा :–

- आवासीय – 50/– प्रति वर्गमीटर
- संस्थानिक – 60/– प्रति वर्गमीटर
- व्यावसायिक – 75/– प्रति वर्गमीटर

11. यदि किसी पूर्व निर्मित भवन के क्षेत्र में विस्तार किया जाता है तो अतिरिक्त प्रस्ताव निर्माण क्षेत्र पर क्र0सं0 4 के अनुसार राशि देय होगी।

12. आवेदक द्वारा एक बार निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् मानचित्र की वैध अवधि के दौरान पुनः मानचित्र संशोधित कर अनुमोदित कराए जाते है तो क्रम सं. 3 एवं 4 में दर्शायी हुई राशि का 10 प्रतिशत शुल्क अनुमोदन हेतु लिया जाएगा। यदि निर्धारित अवधि के पश्चात् मानचित्र का नवीनीकरण करवाया जाता है तो क.सं. 3 एवं 4 में दर्शायी हुई राशि का 10 प्रतिशत देय होगा।

उप शासन सचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयपुर नगर निगम जयपुर।
3. सचिव राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक राजस्थान जयपुर।

उप शासन सचिव